न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—458/2016/223 (2016/00458)

1. गणपतसिंह पुत्र पन्नासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम लसाणी द्वितीय तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लाडूसिंह पुत्र पन्नासिंह,
2. फतेहसिंह पुत्र पन्नासिंह,
3. धन्नासिंह पुत्र पन्नासिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम लसाणी द्वितीय, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
4. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि जोरावरसिंह पुत्री पन्नासिंह, जाति रावत, नि0 नन्दावट, तह0 भीम, जिला राजसमन्द ।
5. दीपसिंह पुत्र रूघासिंह,
6. धन्नी बेवा रूघासिंह **(फौत) नाम तर्क**
   जाति रावत, निवासी ग्राम लसाणी द्वितीय, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 8.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 55/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री मदनापुरी गोस्वामी, वकील अपीलांट ।
2. श्रीमती रेखा गोयल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 22.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 53 राजव0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात ग्राम लसाणी द्वितीय, तहसील ब्यावर में स्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात के खाता संख्या 280 एवं 282 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता पन्नासिंह एवं प्रतिवादी संख्या

5 व 6 के पिता/पति स्व0 रूघासिंह की संयुक्त खातेदारी की आराजियात थी जिसमें पन्नासिंह का 1/2 हिस्सा एवं रूघासिंह का 1/2 हिस्सा था । पन्नासिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी व वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 है तथा रूघासिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 है । उपरोक्त वारिसान वादग्रस्त आराजियात पर संयुक्त रूप से अपने पूर्वजों से प्राप्त हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खाता संख्या 280 व 282 में वादी का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का उपरोक्त वर्णित आराजियात के खाता संख्या 280 व 282 में 5/10 अर्थात् 1/2 हिस्सा निहित है । उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं बंटवारा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का उनके हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजियात का जो भी भाग हो उनका बंटवारा कर राजस्व अभिलेख में प्रत्येक खातेदार के नाम अलग–अलग दर्ज कर लगान निर्धारित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.7.2014 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, ब्यावर को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के आदेश पारित किये तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.8.2014 के प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 8.6.2016 को अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी का वाद दिनांक 9.7.2014 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, ब्यावर को बटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये थे जिस पर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 20.8.2014 को बटवारा प्रस्ताव अधी0न्याया0 में भिजवाये जाने पर वादी/अपीलांट द्वारा बटवारा प्रस्ताव पर दिनांक 12.8.2014 को प्रार्थना पत्र पेश कर ऐतराज प्रस्तुत किये जिस पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से दुबारा बटवारा प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश पारित किये लेकिन दिनांक 8.6.2016 को वादी की अनुपस्थिति में अधी0न्याया0 ने पत्रावली को कैम्प में रखकर पूर्व बटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली आदेश दिनांक 10.2.2016 की पालना हेतु इंतजार बंटवारा प्रस्ताव हेतु विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 को पूर्व बटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने का विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने कैम्प रावतमाल में वादी की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 8.6.2016 को निरस्त कर पुनः बटवारा प्रस्ताव मंगवाकर वाद में अंतिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण आदेश दिनांक 10.2.2016 की पालना में पुनः बटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु विचाराधीन थी लेकिन पत्रावली को कैम्प रावतमाल में रखकर प्रार्थी की अनुपस्थिति में अंतिम

डिक्री जारी कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी जो आदेशिका दिनांक 8.6.2016 से स्पष्ट है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलांट जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे है । अतः अपीलांट निरस्त की जावे।

7. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील को निर्णित किया जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.7.2014 को वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित कर तहसीलदार, ब्यावर को बटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 20.8.2014 को बटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये गये । उक्त बटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष बटवारा प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्तुत किये । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.1.2016 तक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी का जवाब हक बंद किये जाने के आदेश पारित किये है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.2.2016 को बंटवारा प्रस्ताव पर व ऐतराज प्रार्थना पत्र पर वादी को सुनकर तहसीलदार, ब्यावर से पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश पारित कर तहरीर जारी करने के आदेश पारित किये । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश पारित करने के उपरांत पत्रावली नवीन बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुए बिना दिनांक 8.6.2016 को पत्रावली को कैम्प रावतमाल में रखकर पूर्व में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये है । जब अधी0न्याया0 ने नवीन बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश पारित कर दिये थे तो अधी0न्याया0 को तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष को बंटवारा प्रस्ताव पर सुनकर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी.0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री आदेश दिनांक 8.6.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जारने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 8.6.2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण

अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के संबंध में तहसीलदार, ब्यावर से आदेश दिनांक 10.2.2016 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, उभ्यपक्ष को सुनकर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर